

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प०क०-13/सं०नि०नग०/म०आ०स०/दिशानि०/128/2017-18/ 34-75
विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित महिला आरोग्य समिति के सम्बन्ध में।
महोदय,

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल 2017

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-प०क०-13/सं०नि०नग०/म०आ०स०/128/2016-17/5502-75, दिनांक 20 अक्टूबर 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महिला आरोग्य समिति यथाशीघ्र गठन कराने हेतु निर्देश दिये गये थे।

महिला आरोग्य समिति का गठन आपके स्तर से किया जा चुका/किया जा रहा है। उक्त के क्रम में संज्ञान में लाना है कि महिला आरोग्य समिति के गठन के उपरान्त प्रत्येक महिला आरोग्य समिति का बैंक में खाता खोले जाने तथा गठित समिति द्वारा अपने गतिविधियों के सम्बन्ध में रिकार्ड तैयार किया जाना है।

महिला आरोग्य समिति के स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण माड्यूल में दिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 को प्रेषित दिशा निर्देश के दृष्टिगत महिला आरोग्य समिति का बैंक में खाता खोलने तथा महिला आरोग्य समिति स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया



(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ०प०सं०: प०क०-13/सं०नि०नग०/म०आ०स०/दिशानि०/128/2017-18/

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन।
2. मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
5. महाप्रबन्धक, कम्प्यूनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम., एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय अरबन कन्सल्टेंट/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प०क०-13/सं०नि०नग०/म०आ०स०/दिशानि०/128/2017-18/

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल 2017

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित महिला आरोग्य समिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-प०क०-13/सं०नि०नग०/म०आ०स०/128/2016-17/5502-75, दिनांक 20 अक्टूबर 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महिला आरोग्य समिति यथाशीघ्र गठन कराने हेतु निर्देश दिये गये थे।

महिला आरोग्य समिति का गठन आपके स्तर से किया जा चुका/किया जा रहा है। उक्त के क्रम में संज्ञान में लाना है कि महिला आरोग्य समिति के गठन के उपरान्त प्रत्येक महिला आरोग्य समिति का बैंक में खाता खोले जाने तथा गठित समिति द्वारा अपने गतिविधियों के सम्बन्ध में रिकार्ड तैयार किया जाना है।

महिला आरोग्य समिति के स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण माड्यूल में दिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 को प्रेषित दिशा निर्देश के दृष्टिगत महिला आरोग्य समिति का बैंक में खाता खोलने तथा महिला आरोग्य समिति स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

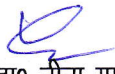
भवदीया

(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ०प०सं०: प०क०-13/सं०नि०नग०/म०आ०स०/दिशानि०/128/2017-18//10-248 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन।
2. मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
5. महाप्रबन्धक, कम्प्यूनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम., एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय अरबन कन्सल्टेंट/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।


(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक